# उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा-मण्डल, लखनऊ

**21/467, रिंग रोड इन्दिरा नगर, लखनऊ- 226016**

**विज्ञापन संख्या : A-1 / S.R. / 2026**
**दिनांक : 24.03.2026**

## सम्मिलित सहकारी बैंकिंग तथा तकनीकी सेवा परीक्षा (विशेष चयन) - 2026

- ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि : **25.03.2026**
- ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन किये जाने की अन्तिम तिथि : **15.04.2026**

उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा-मण्डल, लखनऊ, जिसे आगे सेवा-मण्डल कहा जायेगा, के अन्तर्गत सम्बन्धित संस्थाओं के नियन्त्रणाधीन निम्नलिखित पदों पर विशेष चयन हेतु उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं।

**विशेष चयन**

| क्र. सं. | पदनाम | संस्था का नाम | श्रेणी | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रबन्धक | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड | श्रेणी-1 | 7 |
| 2 | कनिष्ठ प्रबन्धक | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड | श्रेणी-2 | 45 |
| 3 | सहायक/कैशियर (बैंकिंग असिस्टेंट/क्लेरिकल स्टाफ) | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड | श्रेणी-3 | 57 |
| 4 | सहायक/टंकक | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड | श्रेणी-3 | 2 |
| 5 | सहायक अभियन्ता (सिविल) | उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड | श्रेणी-2 | 5 |

**1.ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया**

यह अपेक्षित है कि अभ्यर्थी विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने से पूर्व सेवा-मण्डल द्वारा विज्ञापित निम्नलिखित निर्देशों से भली-भांति अवगत हो लें:-

**आवेदन कैसे करें**

**विस्तृत दिशा-निर्देश/प्रक्रियाएँ**

**A. आवेदन पंजीकरण**

**B. शुल्क का भुगतान**

**C. दस्तावेज़ स्कैन एवं अपलोड**

अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से ही दिनांक 25.03.2026 से दिनांक 15.04.2026 तक आवेदन कर सकते हैं और आवेदन किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**पंजीकरण से पूर्व ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु:-**

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे—

(i) निम्नलिखित दस्तावेज़ स्कैन करें:

- फोटो (4.5 सेमी × 3.5 सेमी)
- हस्ताक्षर (काली स्याही से)
- बाएं हाथ के अंगूठा निशान (सफेद कागज़ पर काली या नीली स्याही से)
- हस्तलिखित घोषणा (सफेद कागज़ पर काली स्याही से) (टेक्स्ट नीचे दिया गया है)

यह सुनिश्चित करते हुए कि ये सभी स्कैन किए गए दस्तावेज़ बिंदु C में दिए गए आवश्यक विनिर्देशों के अनुरूप हों।

(ii) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (CAPITAL LETTERS) में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(iii) बाएं हाथ के अंगूठे का निशान स्पष्ट रूप से स्कैन किया हुआ होना चाहिए और धुंधला नहीं होना चाहिए। (यदि किसी अभ्यर्थी का बायां अंगूठा नहीं है, तो वह अपनी दाहिने हाथ के अंगूठे का प्रयोग कर सकता/सकती है।)

(iv) हस्तलिखित घोषणा का पाठ इस प्रकार है –

**"I, _______ (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required."**

(v) उपरोक्त हस्तलिखित घोषणा अभ्यर्थी के स्वयं के हस्तलेख में और केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए। यदि इसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य भाषा में लिखा एवं अपलोड किया गया है, तो आवेदन अमान्य माना जाएगा। (दृष्टिबाधित अभ्यर्थी जो लिख नहीं सकते, वे घोषणा का पाठ टाइप करवा सकते हैं और टाइप की गई घोषणा के नीचे बाएं हाथ का अंगूठा निशान लगाकर निर्दिष्ट विनिर्देशों के अनुसार अपलोड कर सकते हैं।)

(vi) आवश्यक आवेदन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान हेतु आवश्यक विवरण/दस्तावेज तैयार रखें।

(vii) एक वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर रखें, जिसे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। सेवा-मण्डल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेज सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व नई ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर बनाना चाहिए तथा उसे सक्रिय रखना चाहिए।

**आवेदन शुल्क (अपरिवर्तनीय)**

**शुल्क का ऑनलाइन भुगतान : दिनांक 25.03.2026 से दिनांक 15.04.2026 तक**

ऑनलाइन आवेदन शुल्क के भुगतान हेतु बैंक लेन-देन शुल्क (Transaction Charges) अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा।

**A. आवेदन पंजीकरण**

(i) अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा-मण्डल (U.P. Co-operative Institutional Service Board) की वेबसाइट **https://www.upcisb.upsdc.gov.in** पर जाएं और "APPLY ONLINE" विकल्प पर क्लिक करें, जिससे एक नई स्क्रीन खुलेगी।

(ii) आवेदन पंजीकरण हेतु "Click here for New Registration" टैब चुनें और नाम, संपर्क विवरण एवं ई-मेल आईडी दर्ज करें। सिस्टम द्वारा एक अस्थायी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को इसे नोट कर लेना चाहिए। पंजीकरण संख्या और पासवर्ड की सूचना एक ई-मेल और SMS द्वारा भी प्रेषित की जाएगी ।

(iii) यदि अभ्यर्थी एक बार में आवेदन पूरा नहीं कर पाता/पाती है, तो "SAVE AND NEXT" टैब चुनकर पहले से भरे गए डेटा को सुरक्षित कर सकता/सकती है। अंतिम सबमिशन से पहले "SAVE AND NEXT" सुविधा का उपयोग कर विवरण सत्यापित करें और आवश्यक संशोधन करें। दृष्टिबाधित अभ्यर्थी आवेदन सावधानीपूर्वक भरें और अंतिम सबमिशन से पूर्व विवरण सत्यापित कर लें।

(iv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विवरण स्वयं सावधानीपूर्वक भरें और सत्यापित करें, क्योंकि "COMPLETE REGISTRATION" बटन क्लिक करने के बाद कोई परिवर्तन संभव/स्वीकार्य नहीं होगा।

(v) अभ्यर्थी का नाम या उसके पिता/पति आदि का नाम प्रमाणपत्र/अंकपत्र/पहचान पत्र के अनुसार सही वर्तनी में होना चाहिए। किसी भी प्रकार का परिवर्तन/अंतर पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

(vi) "Validate your details" और "Save & Next" बटन पर क्लिक करके विवरण सत्यापित करें और आवेदन सहेजें।

(vii) बिंदु "C" में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करें।

(viii) आवेदन पत्र के अन्य विवरण भरें।

(ix) "Preview" टैब पर क्लिक कर "COMPLETE REGISTRATION" से पहले संपूर्ण आवेदन का पूर्वावलोकन करें।

(x) यदि आवश्यक हो तो संशोधन करें और फोटो, हस्ताक्षर एवं अन्य विवरण सही होने की पुष्टि के बाद ही "COMPLETE REGISTRATION" पर क्लिक करें।

(xi) "Payment" टैब पर क्लिक कर भुगतान करें।

(xii) "Submit" बटन पर क्लिक करें।

**B. शुल्क का भुगतान**

**ऑनलाइन माध्यम**

(i) आवेदन पत्र भुगतान गेटवे (Payment Gateway) से एकीकृत है और निर्देशों का पालन कर भुगतान पूरा किया जा सकता है।

(ii) भुगतान डेबिट कार्ड (RuPay/Visa/MasterCard/Maestro), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, IMPS, कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेट से किया जा सकता है।

(iii) भुगतान विवरण सबमिट करने के बाद सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें एवं BACK या REFRESH बटन न दबाएं।

(iv) सफल लेन-देन (Transaction) पर e-Receipt उत्पन्न होगी।

(v) e-Receipt का उत्पन्न न होना भुगतान विफलता को दर्शाता है। ऐसे में अभ्यर्थी पुनः लॉगिन कर भुगतान प्रक्रिया दोहराएं।

(vi) e-Receipt और शुल्क विवरण सहित आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लें। यदि e-receipt प्राप्त नहीं होता, तो लेन-देन (Transaction) सफल नहीं हुआ होगा।

(vii) क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं हेतु सभी शुल्क भारतीय रुपये में सूचीबद्ध हैं। गैर-भारतीय कार्ड उपयोग करने पर बैंक प्रचलित विनिमय दर के अनुसार स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित करेगा।

(viii) डेटा सुरक्षा हेतु लेन-देन पूर्ण होने के बाद ब्राउज़र विंडो बंद करें।

(ix) शुल्क भुगतान के बाद शुल्क विवरण सहित आवेदन पत्र प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध है।

**C. दस्तावेज़ स्कैन एवं अपलोड**

ऑनलाइन आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी के पास फोटो, हस्ताक्षर, बाएं हाथ का अंगूठा निशान एवं हस्तलिखित घोषणा की स्कैन (डिजिटल) प्रति होनी चाहिए।

➢ **फोटो (4.5 सेमी × 3.5 सेमी)**

- पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो हो।
- हल्के, अधिमानतः सफेद पृष्ठभूमि पर ली गई हो।
- कैमरे की ओर सीधे देखें, चेहरा सामान्य रखें।
- धूप में फोटो लेते समय सूर्य पीछे हो या छाया में खड़े हों।
- फ्लैश उपयोग करने पर "रेड-आई" न हो।
- चश्मा पहनते हैं तो प्रतिबिंब न हो और आंखें स्पष्ट दिखें।
- टोपी, कैप, गहरे रंग का चश्मा स्वीकार्य नहीं। धार्मिक सिर ढकने की अनुमति है, परंतु चेहरा ढका न हो।

- आयाम(Dimension) : 200 x 230 पिक्सेल (वांछित)
- फ़ाइल आकार(Size): 20 KB – 50 KB
- 50 KB से अधिक न हो। आवश्यकता अनुसार DPI या रंग समायोजित करें।

➢ **फोटो कैप्चर**

- अभ्यर्थियों को लाइव फोटो भी अपलोड करनी होगी (वेबकैम या मोबाइल से)।
- "Capture Photo" चुनने पर वेबकैम सक्रिय होगा।
- "Click here to Scan" चुनने पर QR कोड स्कैन कर मोबाइल से फोटो ले सकते हैं।

➢ **क्या करें (Do's):**

- हल्की पृष्ठभूमि, पर्याप्त प्रकाश।
- कैमरे की ओर सीधे देखें। (दोनों कान दिखाई दें।)
- पासपोर्ट साइज फोटो।

➢ **क्या न करें (Don'ts):**

- छोटी फोटो अपलोड न करें।
- रंगीन चश्मा/कैप न पहनें।
- छाया, मास्क, धुंधली या अंधेरे में ली गई फोटो न हो।

➢ **हस्ताक्षर, अंगूठा निशान एवं घोषणा**

- सफेद कागज़ पर काली स्याही से हस्ताक्षर करें।
- आयाम(Dimension) : 140 x 60 पिक्सेल
- आकार(Size) : 10 KB – 20 KB (हस्ताक्षर), 20 KB – 50 KB (अंगूठा निशान)
- अंगूठा निशान: 240 x 240 पिक्सेल, 200 DPI
- घोषणा: 800 x 400 पिक्सेल, 200 DPI, आकार(Size) : 50 KB – 100 KB
- घोषणा स्पष्ट अंग्रेजी में काली स्याही से लिखें।
- अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर/घोषणा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- हस्ताक्षर मिलान न होने पर अयोग्यता होगी।

- **स्कैनिंग निर्देश**

  - न्यूनतम 200 DPI
  - True Colour सेट करें
  - JPG/JPEG फॉर्मेट
  - Crop एवं Resize द्वारा आकार समायोजित करें।

- **दस्तावेज़ अपलोड प्रक्रिया**

  - प्रत्येक दस्तावेज़ हेतु अलग लिंक होगा।
  - "Upload Photograph / signature / left thumb impression / hand written declaration" पर क्लिक करें।
  - फाइल चुनें और 'Open/Upload' करें।
  - त्रुटि संदेश(Error message) आने पर आकार(size) /फॉर्मेट जांचें।
  - स्पष्टता (clarity) जांचें, आवश्यक हो तो पुनः अपलोड करें।

आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाते।

**नोट:**

- फोटो/हस्ताक्षर/अंगूठा निशान/घोषणा अस्पष्ट होने पर आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।
- सबमिशन से पहले स्पष्टता जांचें।
- फोटो और हस्ताक्षर सही स्थान पर अपलोड हों।
- फोटो आवश्यक आकार का हो और चेहरा स्पष्ट हो।
- फोटो अपलोड न होने पर परीक्षा प्रवेश अस्वीकृत होगा।
- हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।

- ऑनलाइन पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थी अपने सिस्टम द्वारा जनित आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अवश्य लें।

**2. परीक्षा के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश**

(1) यह परीक्षा ऑनलाइन आधारित प्रणाली के अनुसार सम्पन्न कराई जायेगी। परीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण सेवा-मण्डल द्वारा किया जायेगा और इसे यथासमय सेवा-मण्डल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(2) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के अधिकतम 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे तथा मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर एक पद के सापेक्ष अधिकतम 3 गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु (जहॉ आवश्यक होगा) तथा दक्षता परीक्षा हेतु (जहॉ आवश्यक होगा) अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थी बुलाये जायेंगे।

(3) सेवा-मण्डल लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एक पाली अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में संचालित करेगा।

(4) प्रश्न-पत्र का स्तर पद हेतु अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप होगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट-2** में संलग्न है।

(5) प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्नों की संख्या, कुल अंक एवं समयावधि का निर्धारण निम्नानुसार हैः-

| क्र0स0 | परीक्षा | प्रश्नों की संख्या | कुल अंक | निर्धारित समय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रारम्भिक परीक्षा (यदि आवश्यक हुआ तो) | 100 | 100 | 01:30 घण्टा ( 90 मिनट) |
| 2 | मुख्य परीक्षा | 120 | 200 | 02 घण्टा (120 मिनट) |

(6) प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ / बहुविकल्पीय आधार का होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु चार विकल्प होंगे, अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक सही विकल्प को चुनना होगा।

(7) प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों पर ऋणात्मक अंक (Minus Marking) की व्यवस्था निम्नवत लागू होगीः—

1. प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर होंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 (25 प्रतिशत) ऋणात्मक अंक (Minus Marking) के रूप में काटा जाएगा।
2. यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपरोकतानुसार ही उसी तरह ऋणात्मक अंक (Minus Marking) दिया जाएगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक (Minus Marking) नहीं दिया जाएगा।

(8) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं, तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं, तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी सेवा-मण्डल द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक अंक न पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।

(9) परीक्षा की तिथि व समय की सूचना समय - समय पर सेवा-मण्डल की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(10) यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है, तो सेवा-मण्डल के **"हेल्प डेस्क"** हेतु दिये गये नम्बर **0522-7118317** पर (किसी कार्य दिवस में प्रातः 9:30 से सायं 6:00 बजे तक) एवं सेवा मण्डल की ई-मेल आई0डी0- **helpdesk@upcisb.org** से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

(11) प्रश्न पत्र में सामान्य हिन्दी तथा सामान्य अंग्रेजी विषय के प्रश्नों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। किसी संशय की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रश्न मान्य होगा।

(12) **प्रवेश पत्र डाउनलोड :—** अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु सेवा-मण्डल की वेबसाइट **https://www.upcisb.upsdc.gov.in** पर जाना होगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी। संबंधित लिंक पर क्लिक करने के बाद अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की विंडो तक पहुँच सकता/सकती है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी को (i) पंजीकरण संख्या/रोल नंबर, (ii) पासवर्ड/जन्म तिथि का उपयोग करना होगा।

अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र पर नवीनतम, पहचान योग्य फोटोग्राफ चिपकाना होगा, जो यथासंभव वही हो जो पंजीकरण के समय प्रदान किया गया था तथा परीक्षा केंद्र पर (i) प्रवेश पत्र (ii) फोटो पहचान प्रमाण, जैसा कि नीचे खंड (13) में उल्लिखित है तथा प्रवेश पत्र में भी निर्दिष्ट है और मूल रूप में लाए गए उसी फोटो पहचान प्रमाण की एक फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना होगा।

**(13) पहचान सत्यापन :— परीक्षा कक्ष में तथा साक्षात्कार के समय, प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी की वर्तमान में वैध फोटो पहचान (जिस पर वही नाम अंकित हो जो प्रवेश पत्र पर प्रदर्शित है) का मूल एवं एक फोटोकॉपी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जैसे कि पैन कार्ड/ पासपोर्ट/ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस/ मतदाता पहचान पत्र/ फोटोग्राफ सहित बैंक पासबुक/ राजपत्रित अधिकारी द्वारा आधिकारिक लेटरहेड पर जारी फोटोग्राफ सहित फोटो पहचान प्रमाण/ जनप्रतिनिधि द्वारा आधिकारिक लेटरहेड पर जारी फोटोग्राफ सहित फोटो पहचान प्रमाण/ मान्यता प्राप्त कॉलेज/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी वैध नवीनतम पहचान पत्र/ आधार कार्ड/ ई-आधार कार्ड फोटोग्राफ सहित/ कर्मचारी पहचान पत्र/ फोटोग्राफ सहित बार काउंसिल पहचान पत्र। सत्यापन हेतु इन्हें निरीक्षक (इनविजिलेटर) को प्रस्तुत करना होगा।**

अभ्यर्थी की पहचान प्रवेश पत्र में उल्लिखित विवरण, उपस्थिति सूची तथा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित की जाएगी। यदि अभ्यर्थी की पहचान संदिग्ध पाई जाती है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

- **राशन कार्ड तथा शिक्षार्थी ड्राइविंग लाइसेंस वैध पहचान प्रमाण नहीं हैं।**

**नोट:** अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होते समय क्रमशः परीक्षा प्रवेश पत्र तथा साक्षात्कार प्रवेश पत्र के साथ फोटो पहचान प्रमाण का मूल प्रस्तुत करना होगा तथा फोटो पहचान प्रमाण की एक फोटो कॉपी जमा करनी होगी अन्यथा उन्हें परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि प्रवेश पत्र पर अंकित नाम (जो पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान प्रदान किया गया है) फोटो पहचान प्रमाण पर अंकित नाम से पूर्णतः मेल खाना चाहिए। विवाह के बाद जिन महिला अभ्यर्थी ने अपना प्रथम/अंतिम/मध्य नाम परिवर्तित किया है, वे इस संबंध में विशेष ध्यान दें। यदि प्रवेश पत्र में दर्शाए गए नाम और फोटो पहचान प्रमाण में अंकित नाम के बीच कोई असंगति पाई जाती है, तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने अपना नाम परिवर्तित किया है, उन्हें केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे मूल राज पत्र अधिसूचना / अपना मूल विवाह प्रमाण पत्र / मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(14) **देर से रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थी** अर्थात परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र पर निर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के बाद पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश पत्र पर उल्लिखित रिपोर्टिंग समय परीक्षा प्रारंभ होने के समय से पूर्व का है।

यद्यपि परीक्षा की अवधि 2 घंटे है, फिर भी अभ्यर्थियों को सत्यापन, विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों के संकलन, लॉग-इन करने, निर्देश देने आदि जैसी विभिन्न औपचारिकताओं को पूर्ण करने में लगने वाले समय सहित लगभग 4 घंटे तक स्थल पर उपस्थित रहना पड़ सकता है।

(15) **परीक्षा केंद्र संबंधी उपबंध :**

(i) परीक्षा संबंधित प्रवेश पत्र में उल्लिखित स्थलों पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

(ii) परीक्षा के लिए केंद्र/स्थल/तिथि/सत्र में परिवर्तन हेतु किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) सेवा-मण्डल को वित्तीय / प्रशासनिक व्यवहार्यता तथा आकस्मिकता आदि के आधार पर अपने विवेकानुसार किसी भी परीक्षा केंद्र को निरस्त करने तथा/अथवा कुछ अन्य केंद्र जोड़ने / हटाने का अधिकार है।

(iv) सेवा-मण्डल को यह अधिकार भी है कि वह अभ्यर्थी को उसके द्वारा चुने गए केंद्र के अतिरिक्त किसी अन्य केंद्र आवंटित कर सकता है।

(v) अभ्यर्थी परीक्षा में अपने स्वयं के जोखिम और व्यय पर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होगा/होगी। सेवा-मण्डल किसी भी प्रकार की चोट या हानि आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(vi) अभ्यर्थी द्वारा एक बार किया गया केंद्र का चयन अंतिम होगा।

यदि "ऑनलाइन" परीक्षा के लिए किसी विशेष केंद्र को पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी नहीं चुनते हैं, तो सेवा-मण्डल उन अभ्यर्थियों को कोई अन्य निकटवर्ती केंद्र आवंटित करने का अधिकार रखता है अथवा यदि किसी केंद्र पर ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपलब्ध क्षमता से अधिक अभ्यर्थी होते हैं, तो सेवा-मण्डल अभ्यर्थी को किसी अन्य केंद्र पर आवंटित करने का अधिकार रखता है।

(16) **लिखने के लिए सहायक (स्क्राइब) का उपयोग करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों हेतु दिशा-निर्देश :—**

**(i)** दृष्टिबाधित अभ्यर्थी तथा वे अभ्यर्थी जिनकी लेखन गति किसी कारणवश स्थायी रूप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है, नीचे (ii) एवं (iii) में निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अपने स्वयं के खर्च पर अपना स्क्राइब रख सकते हैं। ऐसे सभी मामलों में जहाँ स्क्राइब का उपयोग किया जाता है, तो निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

- अभ्यर्थी को अपना स्क्राइब स्वयं अपने खर्च पर व्यवस्था करना होगा।
- अभ्यर्थी द्वारा व्यवस्थित किया गया स्क्राइब उसी परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण पर उपरोक्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो अभ्यर्थी तथा स्क्राइब दोनों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में अनिवार्य रूप से सावधानीपूर्वक इसका उल्लेख करना चाहिए। बाद में किया गया कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
- एक अभ्यर्थी के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए स्क्राइब नहीं बन सकता।
- स्क्राइब किसी भी शैक्षणिक धारा (Academic Stream) से हो सकता है। तथापि, विशेषज्ञ अधिकारी पदों के लिए स्क्राइब उस पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक धारा (Academic Stream) से भिन्न धारा (Stream) का होना चाहिए।

- अभ्यर्थी तथा स्क्राइब दोनों को एक उपयुक्त घोषणा-पत्र देना होगा जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि स्क्राइब उपरोक्त उल्लिखित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसने निर्धारित पात्रता मानदंडों में से किसी को पूरा नहीं किया या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया, तो ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम की परवाह किए बिना अभ्यर्थी का अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
- जो अभ्यर्थी स्क्राइब का उपयोग करेंगे, उन्हें परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का प्रतिपूरक समय या अन्यथा जैसा निर्देशित किया जाए, प्रदान किया जाएगा।
- स्क्राइब स्वयं से उत्तर नहीं देगा/देगी। इस प्रकार का कोई भी व्यवहार पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

  • केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकरण किया है, उन्हें ही ऐसी छूट दी जाएगी। चूंकि प्रतिपूरक समय प्रणाली आधारित होगा, अतः यदि अभ्यर्थी ने इसके लिए पंजीकरण नहीं किया है, तो परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी द्वारा ऐसा समय प्रदान करना संभव नहीं होगा। जिन अभ्यर्थियों ने प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकरण नहीं किया है, उन्हें ऐसी छूट प्रदान नहीं की जाएंगी।
- परीक्षा के दौरान किसी भी चरण पर यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वतंत्र रूप से प्रश्नों के उत्तर दे रहा/रही है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि परीक्षा के बाद परीक्षा प्रशासक कर्मियों द्वारा यह रिपोर्ट किया जाता है कि स्क्राइब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों के उत्तर दिए, तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन भी निरस्त कर दिया जाएगा, जिन्होंने स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग किया था।

**(ii) गतिशीलता संबंधी दिव्यांगता तथा सेरेब्रल पाल्सी वाले अभ्यर्थियों हेतु दिशा-निर्देश**

ऐसे अभ्यर्थी जिनकी प्रमुख (लेखन) अंग-क्षमता इस हद तक प्रभावित है कि कार्य निष्पादन की गति धीमी हो गई है (न्यूनतम 40% दिव्यांगता), उन्हें प्रति घंटे बीस मिनट का प्रतिपूरक समय या अन्यथा जैसा निर्देशित किया जाए, प्रदान किया जाएगा।

**(iii) दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु दिशा-निर्देश**

- दृष्टिबाधित अभ्यर्थी (जिन्हें कम से कम 40% दिव्यांगता है) परीक्षा की सामग्री को बड़े फॉन्ट में देखने का विकल्प चुन सकते हैं तथा ऐसे सभी अभ्यर्थी परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का प्रतिपूरक समय या अन्यथा जैसा निर्देशित किया जाए, पाने के पात्र होंगे।
- परीक्षा की सामग्री को बड़े फॉन्ट में देखने की सुविधा दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

ये दिशा-निर्देश समय-समय पर भारत सरकार (GOI) / उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी भारत सरकार के कार्यालय – ज्ञाप संख्या 16-110 / 2003 – III, दिनांक 26.02.2013 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 7 / 2019 / 3 / 4 / 86 – का – 2 / 2019 दिनांक 04.12.2019 (यथासंशोधित) के दिशा-निर्देशों/स्पष्टीकरणों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।

(17) **अन्य उपबंध :—**

**(i)** परीक्षा के संचालन में किसी समस्या की संभावना को पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता, जिससे परीक्षा संचालन और/या परिणाम तैयार होने पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में, समस्या के समाधान हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों का स्थानांतरण, परीक्षा में विलंब आदि शामिल हो सकते हैं। पुनः परीक्षा आयोजित करना परीक्षा संचालित करने वाली संस्था के पूर्ण विवेकाधिकार पर निर्भर

करेगा। अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा के लिए कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा। जो अभ्यर्थी स्थानांतरित होने के लिए तैयार नहीं हैं या परीक्षा संचालन की विलंबित प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें प्रक्रिया से तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।

**(ii)** भर्ती से संबंधित सभी मामलों में सेवा-मण्डल का निर्णय अंतिम एवं अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में सेवा-मण्डल द्वारा किसी भी प्रकार का पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।

**(iii)** यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, तो विभिन्न सत्रों में उपयोग की गई विभिन्न प्रश्न-पत्र श्रृंखलाओं के कठिनाई स्तर में हल्के अंतर को समायोजित करने हेतु विभिन्न सत्रों के अंकों का समानीकरण (Equating) किया जाएगा। एक से अधिक सत्रों की आवश्यकता तब होती है जब नोड्स की क्षमता कम हो या किसी केंद्र पर अथवा किसी अभ्यर्थी के लिए कोई तकनीकी व्यवधान उत्पन्न हो जाए।

**(iv)** सेवा-मण्डल व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के उत्तरों का अन्य अभ्यर्थियों के उत्तरों के साथ विश्लेषण करेगा ताकि सही और गलत उत्तरों में समानता के पैटर्न का पता लगाया जा सके। यदि इस संबंध में सेवा-मण्डल द्वारा अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उत्तर साझा किए गए हैं तथा प्राप्त अंक वास्तविक/वैध नहीं हैं, तो सेवा-मण्डल संबंधित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसे अभ्यर्थियों (अयोग्य घोषित) का परिणाम रोका जाएगा।

**(v)** चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी प्रदान करने और/या प्रक्रिया का उल्लंघन करने का मामला सामने आता है, तो उसे चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा भविष्य में किसी भी सेवा-मण्डल की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि ऐसे मामले वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान पता नहीं चलते लेकिन बाद में पता चलते हैं, तो ऐसी अयोग्यता पूर्व प्रभाव से लागू होगी।

**(vi) अंकों के निर्धारण की प्रक्रिया :—**

ऑनलाइन परीक्षा के अंक निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाकर प्राप्त किए जाते हैं:

(a) प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या को गलत उत्तरों पर दंड लागू करने के पश्चात संशोधित अंक (Corrected Score) प्राप्त करने हेतु विचार किया जाता है।

(b) इस प्रकार प्राप्त संशोधित अंकों को विभिन्न सत्रों में आयोजित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा के कठिनाई स्तर में यदि कोई मामूली अंतर हो, तो उसे समायोजित करने हेतु समतुल्य (Equated Scores*) बनाया जाता है।

*किसी भी परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को सभी प्रश्न-पत्रों के अंकों के वितरण को ध्यान में रखते हुए आधार रूप (Base Form) के साथ समतुल्य किया जाता है।

(c) प्रत्येक परीक्षा के अंक तथा कुल अंक दो दशमलव अंकों तक दशमलव बिंदु सहित प्रदर्शित किए जाते हैं।

**नोट:** कट-ऑफ दो चरणों में लागू की जाती है:-

i. प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षा के अंकों पर

ii. कुल अंकों पर

**(vii)** नीति के अनुसार, परीक्षा/प्रश्न-पत्र केवल परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध कराए जाते हैं। परीक्षा के बाद प्रश्न-पत्र किसी के साथ साझा नहीं किये जायेंगें।

कृपया ध्यान दें कि किसी पद के लिए ऑनलाइन परीक्षा में अभ्यर्थी को केवल एक बार उपस्थित होने की अनुमति है। ऑनलाइन परीक्षा में एक से अधिक बार उपस्थित होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि एक से अधिक प्रवेश पत्र जारी किए गए हों, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित प्रवेश पत्र में उल्लिखित तिथि एवं समय पर केवल एक ही बार और एक ही पद के लिए परीक्षा में उपस्थित हों।

(18) विज्ञापित पद/पद समूह के लिए पृथक-पृथक आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

(19) प्रत्येक आवेदन में पद/संस्था आधारित प्राथमिकता क्रम को अनिवार्य रूप से भरा जायेगा जिसे किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा ।

(20) जो अभ्यर्थी केन्द्र या राज्य सरकार में सेवारत् हैं, वो अपने सेवा योजक से प्रश्नगत पदों की चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र अवश्य प्राप्त कर लें, जिसे सेवा-मण्डल द्वारा मांगे जाने पर यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा।

(21) किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभास आदि की स्थिति में संगत सेवा विनियमावली, आरक्षण अधिनियम व एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था मान्य होगी।

**3. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश–**

(1) अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञापन का भली-भांति अध्ययन कर लें। अंतिम नियत तिथि व समय के पश्चात किसी भी स्तर के आवेदन-पत्र/ प्रमाण पत्र/अभिलेख/परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन-पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिए जाएंगे।

(2) हाईस्कूल अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित नाम तथा जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई.डब्ल्यू.एस., क्रीमीलेयर, नाम एवं पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

(4) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिंट प्राप्त कर लें और इसे सुरक्षित रखें, किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिंट सेवा-मण्डल कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(5) सेवा-मण्डल अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देता है, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब संतुष्ट हो जाएँ कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार

अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हताएँ आवेदन-पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अनिवार्यतः धारित करनी चाहिए।

(6) किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है अथवा जिनका प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयनों से उसे प्रतिवारित (डिबार) किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

(7) त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) सेवा-मण्डल अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की प्रथम दृष्टया जाँच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो सेवा-मण्डल द्वारा संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(9) आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (**परिशिष्ट-1**) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे उसे सेवा-मण्डल को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट/कुशल खिलाड़ियों को जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

(10) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा-3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा चिन्हित किये गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(11) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या-5/2015/18/1/2008-का-2/2015, दिनांक 21.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

(12) विज्ञापित पदों पर की जा रही इस भर्ती में उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों, अध्यादेशों/शासनादेशों में निर्धारित नीति/निर्देशों के अनुरूप आरक्षित/अनारक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

(13) आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है।

(14) सेवा-मण्डल से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, Application ID, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

(15) सेवा-मण्डल किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं सेवा-मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। अतः सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से सम्बन्धित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से सेवा-मण्डल की वेबसाइट को देखते रहें।

(16) अपलोड किये गये अभिलेखों/प्रमाण पत्र के सापेक्ष ही संवीक्षा की कार्यवाही की जायेगी। अपलोड किये गये अभिलेखों/प्रमाण पत्र के इतर अन्य अभिलेखों/प्रमाण पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(17) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

(18) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिए निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में **सम्मिलित हो रहे हैं (Appearing)**, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।

(19) आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्रों का प्रारूप **परिशिष्ट-1** पर उपलब्ध है। प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना **परिशिष्ट-2** पर, प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट-3** पर, विज्ञापित पदों से सम्बन्धित रिक्तियों का लम्बवत् तथा क्षैतिज आरक्षण सहित विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-4** पर तथा पद संबंधी संगत सेवा नियमावलियों का विवरण **परिशिष्ट-5** पर उपलब्ध है।

(20) अभ्यर्थियों के योग्यताक्रम (Merit) का निर्धारण आवेदित पद की श्रेणी 1 एवं 2 के सापेक्ष निर्धारित मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार तथा श्रेणी 3 के सापेक्ष निर्धारित मुख्य परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा (जहाँ आवश्यक हो) के आधार पर किया जाएगा।

(21) आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जाएगा, जब उनके द्वारा प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा के स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ / रियायत / छूट न लिया गया हो।

(22) जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिए जाते हैं, वे अभ्यर्थी अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं, अतः अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांक नहीं दिए जाएंगे।

(23) अभिलेखों के सत्यापन के समय उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में इस हेतु सेवा-मण्डल के निर्णयानुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उक्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अभ्यर्थियों द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन की निर्धारित तिथि को यदि अभिलेख सत्यापन हेतु कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो यह मानते हुये कि वह प्रश्नगत पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(24) इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से जो सूचनाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर सेवा-मण्डल द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

**(25) अनुचित आचरण/अनुचित साधनों के उपयोग के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई**

अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय कोई भी गलत, छेड़छाड़ किया हुआ या मनगढ़ंत विवरण प्रस्तुत न करें तथा किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को न छिपाएँ। परीक्षा, साक्षात्कार या बाद की किसी चयन प्रक्रिया के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी का दोषी पाया जाता है (या पाया गया है) –

(i) अनुचित साधनों का उपयोग करना या

(ii) प्रतिरूपण करना या किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिरूपण कराना या

(iii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में दुर्व्यवहार करना या परीक्षा की सामग्री या उसमें निहित किसी भी जानकारी को पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक रूप से किसी भी उद्देश्य के लिए प्रकट करना, प्रकाशित करना, पुनरुत्पादित करना, प्रसारित करना, संग्रहित करना या प्रसारण एवं संग्रहण को सुगम बनाना या

(iv) अपने अभ्यर्थन के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेना या

(v) अनुचित साधनों द्वारा अपनी अभ्यर्थन के लिए समर्थन प्राप्त करना या

(vi) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन या समान इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण साथ लाना,

तो ऐसा अभ्यर्थी, स्वयं को आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है:

(a) जिस परीक्षा के लिए वह अभ्यर्थी है, उससे अयोग्य घोषित किया जाना

(b) सेवा-मण्डल द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जाना

(c) यदि वह पहले ही संस्था में नियुक्त हो चुका/चुकी है, तो सेवा की समाप्ति।

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 दिनांक 12 फरवरी, 2024 तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 दिनांक 6 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्नगत परीक्षा में लागू रहेंगे।

**4- <u>आवेदन शुल्क</u> :** परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क (सर्वसमावेशी) निम्नानुसार है :-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग | परीक्षा शुल्क रु0 500/- (रू0 पाँच सौ मात्र) |
| (ii) | उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति | परीक्षा शुल्क रु0 250/- (रू0 दो सौ पचास मात्र) |
| (iii) | उत्तर प्रदेश राज्य के दिव्यांगजन | शून्य (0) |
| (iiv) | अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के क्षैतिज आरक्षण (राज्य उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन को छोड़कर) के अभ्यर्थियों द्वारा अपनी मूल श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क देय होगा। | |

**नोट**ः - (1) ध्यातव्य है कि उक्त परीक्षा शुल्क परीक्षा के एक चरण हेतु निर्धारित है, परन्तु विज्ञापन के बिन्दु संख्या 6 में वर्णित व्यवस्था के दृष्टिगत यदि परीक्षा का आयोजन दो चरणों में किया जाता है, तो उपरोक्त परीक्षा शुल्क परीक्षा के दोनों चरणों (प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा) के लिए पृथक – पृथक देय होगा।

**5. आयु सीमाः-** (1) अभ्यर्थियों को 01 जनवरी, 2026 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 1 जनवरी 1986 पूर्व तथा 01 जनवरी, 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 1 जनवरी, 1971 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(2) **अधिकतम् आयु सीमा में छूटः-** (क) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक

विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों / कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात उनका जन्म 1 जनवरी, 1981 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।
(ख) उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी।
(ग) उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों / भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गयी अवधि +03 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी।

**6. परीक्षा का स्वरूप:**

(1) सेवा-मण्डल द्वारा विज्ञापित पदों हेतु **ऑनलाइन परीक्षा** का आयोजन किया जायेगा। श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2 के पदों हेतु ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंक तथा श्रेणी-3 के पदों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के अंक एवं दक्षता परीक्षा (जिन पदों पर अनिवार्य योग्यता है) के आधार पर चयन की कार्यवाही की जायेगी।

**(2.1) सामान्य स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा एक चरण में आयोजित की जाएगी जिसे मुख्य परीक्षा कहा जाएगा, जिसके अंक मेरिट/चयन सूची में जोड़े जाएंगे।**

**(2.2) यदि किन्हीं विज्ञापित पदों पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या एक निश्चित सीमा से अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जायेगी :-(1) प्रारम्भिक परीक्षा तथा (2) मुख्य परीक्षा।**

**(2.3) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह होंगें तथा उक्त प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी द्वारा बिन्दु संख्या (4) में वर्णित विवरण के अनुसार परीक्षा शुल्क पुनः देय होगा।**

**परन्तु किसी भी दशा में प्रारम्भिक परीक्षा के अंक मेरिट/चयन सूची में नहीं जोड़े जायेंगे।**

**उक्त सम्बन्ध में सेवा-मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा।**

**7. रिक्तियों की संख्या**:-(क) उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा-मण्डल को प्रेषित/उपलब्ध कराये जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित अधियाचन प्रेषणकर्ता संस्था की है।
(ख) वर्तमान विज्ञापन में सम्मिलित विभिन्न पदों का विवरण निम्नानुसार हैः-

| क्र. स. | पदनाम | वेतनमान | संस्था का नाम | कुल पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| **प्रबन्धक (श्रेणी - 1)** | | | | |
| 1 | प्रबन्धक (श्रेणी - 1) | वेतनमान (न्यूनतम): 34000,वेतनमान (अधिकतम): 88000,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 34000-2600/10-60000-2800/10-88000 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बिजनौर | 1 |
| 2 | प्रबन्धक (श्रेणी - 1) | वेतनमान (न्यूनतम): 34000,वेतनमान (अधिकतम): 88000,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 34000-2600/10-60000- | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, लखीमपुर खीरी | 1 |

| क्र. स. | पदनाम | वेतनमान | संस्था का नाम | कुल पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| | | 2800/10-88000 | | |
| 3 | प्रबन्धक (श्रेणी - 1) | वेतनमान (न्यूनतम): 34000,वेतनमान (अधिकतम): 88000,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 34000-2600/10-60000-2800/10-88000 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, सहारनपुर | 1 |
| 4 | प्रबन्धक (श्रेणी - 1) | वेतनमान (न्यूनतम): 20310,वेतनमान (अधिकतम): 52610,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 20310-1560/10-35910-1670/10-52610 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, शाहजहाँपुर | 1 |
| 5 | प्रबन्धक (श्रेणी - 1) | वेतनमान (न्यूनतम): 20310,वेतनमान (अधिकतम): 52610,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 20310-1560/10-35910-1670/10-52610 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, रामपुर | 1 |
| 6 | प्रबन्धक (श्रेणी - 1) | वेतनमान (न्यूनतम): 20310,वेतनमान (अधिकतम): 52610,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 20310-1560/10-35910-1670/10-52610 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, फतेहगढ़ (फरूर्खाबाद) | 1 |
| 7 | प्रबन्धक (श्रेणी - 1) | वेतनमान (न्यूनतम): 10770,वेतनमान (अधिकतम): 27970,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 10770-830/10-19070-890/10-27970 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, अलीगढ़ | 1 |
| **कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2)** | | | | |
| 8 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम) : 29600, वेतनमान (अधिकतम) : 82100, वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 29600-2500/10-54600-2750/10-82100 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मुजफ्फरनगर | 4 |
| 9 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 29600,वेतनमान (अधिकतम): 82100,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 29600-2500/10-54600-2750/10-82100 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड,बिजनौर | 2 |
| 10 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 29600,वेतनमान (अधिकतम): 82100,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 29600-2500/10-54600-2750/10-82100 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जालौन (उरई) | 3 |
| 11 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 29600,वेतनमान (अधिकतम): 82100,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 29600-2500/10-54600-2750/10-82100 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, लखीमपुर खीरी | 3 |
| 12 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 29600,वेतनमान (अधिकतम): 82100,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 29600-2500/10-54600-2750/10-82100 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, सहारनपुर | 3 |
| 13 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 29600,वेतनमान (अधिकतम): 82100,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 29600-2500/10-54600-2750/10-82100 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, गाजियाबाद | 1 |
| 14 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 29600,वेतनमान (अधिकतम): 82100,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 29600-2500/10-54600-2750/10-82100 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बुलन्दशहर | 2 |
| 15 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 17670,वेतनमान (अधिकतम): 49170,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 17670-1500/10-32670-1650/10-49170 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, रायबरेली | 4 |
| | | | | |

| क्र. स. | पदनाम | वेतनमान | संस्था का नाम | कुल पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 16 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 17670,वेतनमान (अधिकतम): 49170,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 17670-1500/10-32670-1650/10-49170 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, शाहजहाँपुर | 4 |
| 17 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 17670,वेतनमान (अधिकतम): 49170,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 17670-1500/10-32670-1650/10-49170 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, रामपुर | 1 |
| 18 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 17670,वेतनमान (अधिकतम): 49170,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 17670-1500/10-32670-1650/10-49170 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, एटा | 1 |
| 19 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 17670,वेतनमान (अधिकतम): 49170,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 17670-1500/10-32670-1650/10-49170 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, झांसी | 3 |
| 20 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 9370,वेतनमान (अधिकतम): 26120,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 9370-800/10-17370-875/10-26120 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मैनपुरी | 1 |
| 21 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 9370,वेतनमान (अधिकतम): 26120,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 9370-800/10-17370-875/10-26120 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मऊ | 1 |
| 22 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 9370,वेतनमान (अधिकतम): 26120,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 9370-800/10-17370-875/10-26120 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, आगरा | 2 |
| 23 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 6300,वेतनमान (अधिकतम): 17580,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 6300-540/10-11700-588/10-17580 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, अयोध्या | 5 |
| 24 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 6300,वेतनमान (अधिकतम): 17580,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 6300-540/10-11700-588/10-17580 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, वाराणसी | 1 |
| 25 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 6300,वेतनमान (अधिकतम): 17580,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 6300-540/10-11700-588/10-17580 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, सीतापुर | 2 |
| 26 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 2520,वेतनमान (अधिकतम): 7495,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 2520-230/10-4820-267/5-6155-268/5-7495 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बहराइच | 1 |
| 27 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 2520,वेतनमान (अधिकतम): 7495,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 2520-230/10-4820-267/5-6155-268/5-7495 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जौनपुर | 1 |
| **सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट) / (क्लेरिकल स्टाफ)** | | | | |
| 28 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट) / (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 25620,वेतनमान (अधिकतम): 64670,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 25620-1675/10-42370-2030/5-52520-2430/5-64670 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बिजनौर | 5 |
| 29 | सहायक / कैशियर (बैंकिग | वेतनमान (न्यूनतम): 25620,वेतनमान (अधिकतम): | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, | 1 |

| क्र. स. | पदनाम | वेतनमान | संस्था का नाम | कुल पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| | असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | 64670,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 25620-1675/10-42370-2030/5-52-2430/5-64670 | गाजियाबाद | |
| 30 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 25620,वेतनमान (अधिकतम): 64670,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 25620-1675/10-42370-2030/5-52520-2430/5-64670 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मुजफ्फरनगर | 12 |
| 31 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 15290,वेतनमान (अधिकतम): 38590,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 15290-1000/10-25290-1210/5-31340-1450/5-38590 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, ललीतपुर | 1 |
| 32 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 15290,वेतनमान (अधिकतम): 38590,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 15290-1000/10-25290-1210/5-31340-1450/5-38590 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, उन्नाव | 6 |
| 33 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 15290,वेतनमान (अधिकतम): 38590,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 15290-1000/10-25290-1210/5-31340-1450/5-38590 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बाराबंकी | 6 |
| 34 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 15290,वेतनमान (अधिकतम): 38590,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 15290-1000/10-25290-1210/5-31340-1450/5-38590 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़ | 1 |
| 35 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 15290,वेतनमान (अधिकतम): 38590,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 15290-1000/10-25290-1210/5-31340-1450/5-38590 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, हमीरपुर महोबा | 3 |
| 36 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 15290,वेतनमान (अधिकतम): 38590,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 15290-1000/10-25290-1210/5-31340-1450/5-38590 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, फतेहगढ़ (फर्रूखाबाद) | 4 |
| 37 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 15290,वेतनमान (अधिकतम): 38590,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 15290-1000/10-25290-1210/5-31340-1450/5-38590 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, शाहजहाँपुर | 4 |
| 38 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 8110,वेतनमान (अधिकतम): 20960,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 8110-535/10-13460-650/5-16710-850/5-20960 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, अलीगढ़ | 6 |
| 39 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 8110,वेतनमान (अधिकतम): 20960,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 8110-535/10-13460-650/5-16710-850/5-20960 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मैनपुरी | 1 |

| क्र. स. | पदनाम | वेतनमान | संस्था का नाम | कुल पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 40 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 5450,वेतनमान (अधिकतम): 14100,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 5450-360/10-9050-440/5-11250-570/5-14100 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, आजमगढ़ | 2 |
| 41 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 5450,वेतनमान (अधिकतम): 14100,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 5450-360/10-9050-440/5-11250-570/5-14100 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर | 1 |
| 42 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 2200,वेतनमान (अधिकतम): 5825,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 2200-140/10-3600-190/5-4550-255/5-5825 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बहराइच | 4 |
| **सहायक / टंकक** | | | | |
| 43 | सहायक / टंकक | वेतनमान (न्यूनतम): 25620, वेतनमान (अधिकतम): 64670,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 25620-1675/10-42370-2030/5-52520-2430/5-64670 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड मुजफ्फरनगर | 2 |
| **सहायक अभियन्ता (श्रेणी -2)** | | | | |
| 44 | सहायक अभियन्ता (श्रेणी – 2) | लेवल 10-, वेतनमान (न्यूनतम):56100, वेतनमान (अधिकतम) : 177500 | उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ | 5 |

**नोटः- रिक्तियों का आरक्षणवार पूर्ण विवरण (लम्बवत एव क्षैतिज ) परिशिष्ट - 4 में है**

**8. आरक्षणः** उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा-उ0प्र0 के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अभ्यर्थी/उ0प्र0 के भूतपूर्व सैनिकों/उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियॉ बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर रिक्तियॉ बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

**नोटः-** (1) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या- 5/2022/18-1/2008/47/ का-2/2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के बिंदु – 5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है- दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्त पर नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्त पर नियुक्ति किया जा सकता है। बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

(2) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के **परिशिष्ट–1** पर उपलब्ध निर्धारित प्रारुप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे सेवा-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करें।

(3) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी।

(4) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(5) अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके समर्थन में समस्त वॉछित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियॉ मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**9. आपात कमीशन प्राप्त / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु में छूट हेतु) :–**

आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुए हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है, भी इस परीक्षा के लिये शासनादेश संख्या-22/10/1976-कार्मिक-2-85, दिनांक 30 जनवरी 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तो पर आवेदन कर सकते हैंः-

(अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है।

(ब) ऐसे आवेदकों को यथासमय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि

(क) उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया हो।

(ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं

(ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी हो।

**10. वैवाहिक प्रस्थितिः**- ऐसे विवाहित पुरूष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नही होंगे, जब तक कि राज्यपाल महोदय ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

**11. शैक्षिक अर्हताः-** आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को निम्नानुसार शैक्षिक अर्हतायें धारित करनी चाहिए जिनका विवरण निम्नवत् हैः-

| **क्र0 सं0** | **पदनाम/ श्रेणी** | **संस्था का नाम** | **शैक्षिक अर्हता (अनिवार्य)** |
|---|---|---|---|
| **1.** | **प्रबन्धक**<br>(श्रेणी-1) | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड | 1.भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम 55 प्रतिशत अंक सहित वाणिज्य में स्नातक अथवा कम से कम 55 प्रतिशत अंक सहित अर्थशास्त्र/गणित /सांख्यिकी में एक विषय के साथ स्नातक।<br>कम्प्यूटर में न्यूनतम 'ओ' लेवल या समकक्ष योग्यता। समकक्षता के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-2 उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-08/2022/2/47- का-2-2022 एल०सी०/2022 दिनांक 05.05.2022 द्वारा निर्धारित समकक्षता लागू होगी। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | अथवा<br>2. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम 55 प्रतिशत अंको अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ बी०टेक०/बी०ई० (कम्प्यूटर साइंस/आई०टी०)/बी०सी०ए०/ एम०सी०ए०<br>अथवा<br>3. यू०जी०सी०/ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से बैंकिंग/फाइनेंस/ एच०आर० मे बी०बी०ए०/एम०बी०ए०।<br>अथवा<br>4.बैंकिंग फाइनेंस/एच०आर० में फुल टाइम पी०जी०डी०एम०। |
| **2.** | **कनिष्ठ प्रबन्धक**<br>(श्रेणी-2) | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड | 1.भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम 55 प्रतिशत अंक सहित वाणिज्य में स्नातक अथवा कम से कम 55 प्रतिशत अंक सहित अर्थशास्त्र/गणित /सांख्यिकी में एक विषय के साथ स्नातक।<br>कम्प्यूटर में न्यूनतम 'ओ' लेवल या समकक्ष योग्यता। समकक्षता के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-2 उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-08/2022/2/47- का-2-2022 एल०सी०/2022 दिनांक 05.05.2022 द्वारा निर्धारित समकक्षता लागू होगी।<br>अथवा<br>2. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम 55 प्रतिशत अंको अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ बी०टेक/बी०ई० (कम्प्यूटर साइंस/आई०टी०)/बी०सी०ए०/ एम०सी०ए०।<br>अथवा<br>3. यू०जी०सी०/ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से बैंकिंग/फाइनेंस/ एच०आर० मे बी०बी०ए०/एम०बी०ए०।<br>अथवा<br>4. बैंकिंग फाइनेंस/एच०आर० में फुल टाइम पी०जी०डी०एम०। |
| **3.** | **सहायक/कैशियर, (बैंकिग असिस्टेंट) /(क्लेरिकल स्टाफ)**<br>(श्रेणी-3) | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड | भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से 55 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक। कम्पयूटर में न्यूनतम सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र अनिवार्य। |
| **4.** | **सहायक/टंकक**<br>(श्रेणी-3) | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड | भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक के साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी में क्रमशः 30 एवं 40 शब्द प्रति मिनट की गति । कम्पयूटर में न्यूनतम सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र अनिवार्य। |
| **5.** | **सहायक अभियन्ता (सिविल)** | उ0प्र0 राज्य निर्माण | भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से सिविल इंजी० में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (श्रेणी-2) | सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ | समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। |

**सचिव**

# परिशिष्ट-1

## उ0 प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.......................................सुपुत्र/सुपुत्री श्री.................................... निवासी ग्राम........................................ तहसील....................................... नगर......................................... जिला...................................... उत्तर प्रदेश राज्य की ...................... जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/ संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....................................... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम......................................तहसील......................................नगर......................................जिला.................. .......... में सामान्यतया रहता है।

स्थान................................ हस्ताक्षर ................................

दिनांक................................ पूरा नाम................................

मुहर ................................ पद नाम ................................

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार /
अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी।

# उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ............................... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..................................निवासी ग्राम ................................................ तहसील...................................... नगर.......................................जिला ................................उत्तर प्रदेश राज्य की .................................................... ....................................... पिछड़े जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम,1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ....................................... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशाोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री / श्रीमती / कुमारी ....................................... तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .......................................तहसील ........................ नगर ........................ जिला ........................ में सामान्यतया रहता है।

स्थान .............................

दिनांक .............................

मुहर .............................

हस्ताक्षर .............................

पूरा नाम .............................

पद का नाम .............................

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार।

## उ0प्र0 के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रमाण-पत्र (दिव्यांगजन प्रारूप)

## Form-II

## Certificate of Disability

## (In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

## (Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

**Certificate No.** **Date:**

| Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability |
|---|

This is to certify that I have carefully examined Shri /Smt./ Kum .......................... ...............................son /wife /daughter Of Shri........................... Date of Birth (DD/MM/YY) ............................ Age ............................years, male / female ............... ............. registration No ............................ permanent resident of House No..........................................Ward/Village/Street...........................................Post office ........................................................... District .................................................. State ................................................

whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

**(A)** he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

**(B)** The diagnosis in his/her case is ...........................................................

**(A)** he/she has ............................. % (in figure) ......................... percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her ............................. (part of body) as per guidelines( .............. number and date of issue of the guidelines to be specified).

**2.** The applicant has submitted the following document as proof of residence:–

| Nature of Document | Date of Issue | Details of authority issuing certificate |
|---|---|---|
| | | |

3. Signature and seal of the Medical Authority.

| | | |
|---|---|---|
| (Dr.............)<br>Member<br>Medical Board<br>with seal | (Dr.............)<br>Member<br>Medical Board<br>with seal | (Dr.............)<br>Chairperson<br>Medical Board<br>with seal |

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

**Form-III**

**Certificate of Disability**
**(In cases of multiple disabilities)**
**(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)**

**Certificate No.** **Date:**

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum ........................................................................................................... son/wife/daughter of Shri ................................................................... Date of birth (DD/MM/YY) ................................................................ age...............................years, male/female............................Registration No...................... ......permanent resident of House No. ............................................................................................................ Ward/Village/Street.............................................Post Office .............................................................................. District........................................... State........................................... whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of

**Multiple Disability**. His/her extent of permanent physical impairment/ disability has been evaluated as per guidelines (....................... number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

| S. No. | Disability | Affected part of body | Diagnosis | Permanent physical/impairment/ mental disability (in %) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Locomotor disability | @ | | |
| 2. | Muscular Dystrophy | | | |
| 3. | Leprosy Cured | | | |
| 4. | Dwarfism | | | |
| 5. | Cerebral Palsy | | | |
| 6. | Acid attack Victim | | | |
| 7. | Low Vision | # | | |
| 8. | Blindness | # | | |
| 9. | Deaf | £ | | |
| 10. | Hard of Hearing | £ | | |
| 11. | Speech and Language disability | | | |
| 12. | Intellectual Disability | | | |
| 13. | Specific Learning Disability | | | |
| 14. | Autism Spectrum Disorder | | | |
| 15. | Mental illness | | | |
| 16. | Chronic Neurological Conditions | | | |
| 17. | Multiple sclerosis | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. | Parkinson's disease | | | |
| 19. | Haemophilia | | | |
| 20. | Thalassemia | | | |
| 21. | Sickle Cell disease | | | |

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per

guidelines (.............number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows:

In figures.................................percent.

In words..................................percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

**3. Reassessment of disability is:-**

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/ after........................ years........................ months, and therefore this certificate shall be valid till ............ .............. ..............

(DD) (MM) (YY)

@ - e.g. Left/right/both arms/legs

# - e.g. Single eye

£ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

| **Nature of Document** | **Date of Issue** | **Details of authority issuing certificate** |
|---|---|---|
| | | |

5. Signature and seal of the Medical Authority.

| **Name and seal of member** | **Name and seal of member** | **Name and seal of the Chairperson** |
|---|---|---|

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

**Form-IV**

**Certificate of Disability**

**(In cases of other than those mentioned in Forms II and III)**

**(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)**

**Certificate No.** **Date:**

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum.............................

....................son/wife/daughter of Shri .......................................................... Date of birth (DD/MM/YY)... .......................... age ............................... years, male/female .......................... Registration No. .......................... permanent resident

of House No. .......................................................... Ward/Village/Street ................... ..................................... Post Office ....................................................... District..................................................... State .........................................................

whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of Disability.

His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.............number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:

| S. No. | Disability | Affected part of body | Diagnosis | Permanent physical/impairment/ mental disability (in %) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Locomotor disability | @ | | |
| 2. | Muscular Dystrophy | | | |
| 3. | Leprosy Cured | | | |
| 4. | Cerebral Palsy | | | |
| 5. | Acid attack Victim | | | |
| 6. | Low Vision | # | | |
| 7. | Deaf | £ | | |
| 8. | Hard of Hearing | £ | | |
| 9. | Speech and Language disability | | | |
| 10. | Intellectual Disability | | | |
| 11. | Specific Learning Disability | | | |
| 12. | Autism Spectrum Disorder | | | |
| 13. | Mental illness | | | |
| 14. | Chronic Neurological Conditions | | | |
| 15. | Multiple sclerosis | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16. | Parkinson's disease | | | |
| 17. | Haemophilia | | | |
| 18. | Thalassemia | | | |
| 19. | Sickle Cell disease | | | |

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary.

or

(ii) is recommended/after ........................ years ........................ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) ..................................

@ e.g. Left/right/both arms/legs
# e.g. Single eye/both eyes
£ e.g. Left/Right/both ears
4. Signature and seal of the Medical Authority.

| Name and seal of member | Name and seal of member | Name and seal of the Chairperson |
|---|---|---|
| | | |

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

**उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण – पत्र का प्रपत्र।**

## प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....................................... निवासी ....................... ग्राम ........................तहसील ........................ नगर ........................ जिला ........................उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/कुमारी (आश्रित) .......................................पुत्र/पुत्री/ पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)••••••••••••••••••••••••के आश्रित हैं।

स्थान ........................................
दिनांक ......................................

हस्ताक्षर .....................................
पूरा नाम .....................................
पदनाम ......................................
मुहर .........................................
जिलाधिकारी .............................
सील .......................................

**कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं**

**शासनादेश संख्या - 22 / 21 / 1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985**

**प्रमाण पत्र के फार्म - 1 से 4**

**प्रारूप- 1**

**(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)**

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम..........................................राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ........................ आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ........................ निवासी ...................... पूरा पता ................. ने दिनांक .................. से दिनांक ................. तक ..................... (स्थान का नाम) में आयोजित........................ (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लियाा। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ......................... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) ..................... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ....................................

दिनांक .................................

हस्ताक्षर .................................................

नाम ......................................................

पद .......................................................

संस्था का नाम ........................................

मुहर .............................................

**नोट:** यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

**प्रारूप – 2**

**(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिए)**

**संबन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम ....................................... राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ....................................... आत्मज /पत्नी/आत्मजा श्री .......................................निवासी (पूरा पता)....................................... ने दिनांक ....................... से दिनांक ....................... तक ..................... में (क्रीड़ा / खेल – कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेंट स्थान का नाम) ....................................... आयोजित राष्ट्रीय....................................... में (क्रीड़ा / खेल – कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में ....................... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण – पत्र ....................................... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ................................ हस्ताक्षर ................................

दिनांक ................................ नाम .....................................

पद ......................................

संस्था का नाम ..........................

मुहर ................................

**नोट** : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

**प्रारूप- 3**

**(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)**

**विश्वविद्यालय का नाम ........................ राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ........................ आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री ........................ निवास (पूरा नाम)........................ विश्वविद्यालय की कक्षा ......................... के विद्यार्थी ने दिनांक ........................ से दिनांक ........................ तक................................ (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्विद्यालय ..................... (क्रीड़ा /खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में ......................... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में ................. स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इन्चार्ज खेल-कूद ................. विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ................................ हस्ताक्षर ................................

दिनांक ................................ नाम ......................................

पद ...........................................

संस्था का नाम ..........................

मुहर ......................................

**नोट** : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इन्चार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

**प्रारूप- 4**

**(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)**

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स / निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश .................... राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए **प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ....................... आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री ....................... निवासी (पूरा पता) ....................... में ....................... स्कूल में कक्षा ....................... के विद्यार्थी ने दिनांक....................... से दिनांक ....................... तक ....................... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की....................... (क्रीड़ा / खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में ....................... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में ....................... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स / शिक्षा में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ................................ हस्ताक्षर ................................
दिनांक ................................ नाम .......................................
पद .........................................
संस्था का नाम .........................
मुहर .....................................

**नोट** : यह प्रमाण-पत्र निदेशक / या अतिरिक्त / संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स /शिक्षा ....................... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

## परिशिष्ट – 2

## परीक्षा की योजना

**उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा-मण्डल, लखनऊ के क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सहकारी समितियों के कर्मचारी के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आयोजित ऑनलाइन परीक्षा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार तीन स्तर सम्मिलित हैं।**

**यथा :- (1)** प्रारम्भिक परीक्षा (बहुविकल्पीय) (यदि आवश्यक हुआ)

(2) मुख्य परीक्षा (बहुविकल्पीय)

(3) साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षण) वर्ग - 1 तथा वर्ग - 2 के लिये

(4) दक्षता परीक्षा वर्ग - 3 के लिये (जहाँ अनिवार्य योग्यता है)।

### प्रारम्भिक परीक्षा (यदि आवश्यक हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा-मण्डल लखनऊ के क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सहकारी समितियों के कर्मचारी वर्ग – 01, कर्मचारी वर्ग – 02 तथा कर्मचारी वर्ग - 3 के पदों पर भर्ती हेतु आयोजित ऑनलाइन परीक्षा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में प्रारम्भिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में इस विज्ञापन के परिशिष्ट – 3 में उल्लिखित है। प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक तथा 1:30 घण्टे की अवधि के होंगें। प्रारम्भिक परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार की होगें, जिसमें 100 प्रश्न होंगें।

(1) प्रारंभिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों पर ऋणात्मक अंक (Minus Marking) की व्यवस्था निम्नवत लागू होगीः—

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर होंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 (25 प्रतिशत) ऋणात्मक अंक (Minus Marking) के रूप में काटा जाएगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह ऋणात्मक अंक (Minus Marking) दिया जाएगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक (Minus Marking) नहीं दिया जाएगा।

**सहकारी समितियों के कर्मचारी श्रेणी – 01, कर्मचारी श्रेणी – 02 तथा कर्मचारी श्रेणी – 03 के पदों पर भर्ती हेतु आयोजित**

**प्रारम्भिक परीक्षा (PRELIMINARY EXAMINATION) का प्रारूप**

**Minus Marks - 1 / 4 (25%)**

Total Time: 90 Minutes (1:30 hour)

| S.N. | Section | No of Question | Per Question Marks | Max. Marks |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 01 | Numerical Ability/Quantitative Aptitude | 35 | 1 | 35 |
| 02 | Reasoning Ability/Mental Ability | 35 | 1 | 35 |
| 03 | Hindi Language and General English/English Language | 20 | 1 | 20 |
| 04 | Cooperative | 10 | 1 | 10 |
| | Total | 100 | | 100 |

**मुख्य परीक्षा**

उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा-मण्डल लखनऊ के क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सहकारी समितियों के कर्मचारी वर्ग – 01, कर्मचारी वर्ग – 02 तथा कर्मचारी वर्ग - 3 के पदों पर भर्ती हेतु आयोजित ऑनलाइन्न परीक्षा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में मुख्य परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में इस विज्ञापन के **परिशिष्ट – 3** में उल्लिखित है। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंक तथा 02 घण्टे की अवधि के होंगे। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, जिसमें 120 प्रश्न होंगे।

(1) मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों पर ऋणात्मक अंक (Minus Marking) की व्यवस्था निम्नवत लागू होगीः—

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर होंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 (25 प्रतिशत) ऋणात्मक अंक (Minus Marking) के रूप में काटा जाएगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह ऋणात्मक अंक (Minus Marking) दिया जाएगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक (Minus Marking) नहीं दिया जाएगा।

(2) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं, तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं, तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी सेवा-मण्डल द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक को अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।

(3) उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा-मण्डल, लखनऊ द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नही दी जायेगी । किसी भी अभ्यर्थी के परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता / पात्रता के सम्बन्ध में सेवा-मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि प्रश्न पत्र अंग्रेजी लिपि व हिन्दी देवनागरी लिपि में होंगे।

**उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा-मण्डल, लखनऊ के क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सहकारी संस्थाओं के सीधी भर्ती के निम्नलिखित पदों हेतु आयोजित होने वाली ऑनलाइन मुख्य परीक्षा का प्रारूप :-**

| **वर्ग 01** | **संस्था का नाम** | **वर्ग 02** | **संस्था का नाम** |
|---|---|---|---|
| 01. प्रबन्धक | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड | 01. कनिष्ठ प्रबन्धक | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड |
| | | 02.सहायक अभियन्ता (सिविल) | उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, |
| **मुख्य परीक्षा (MAIN EXAMINATION)** | | | **ऋणात्मक अंक 1 / 4 (25 %)** |
| | | | **समय : 02 घण्टे** |

| **S.N.** | **Section** | **No of Questions** | **Per Question Marks** | **Max. Marks** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reasoning Ability / Mental Ability | 20 | 1 | 20 |
| 2 | Numerical Ability/Quantitative Aptitude | 20 | 1 | 20 |
| 3 | General Awareness | 15 | 1 | 15 |
| 4 | Cooperative | 15 | 1 | 15 |
| 5 | Language (Hindi & English) | 10 | 1 | 10 |
| 6 | **Subject (anyone of the following according to the essential educational qualification and syllabus of respective post)** | 40 | 3 | 120 |
| | (a) Civil Engineering | | | |
| | (d) Managerial \| Banking - 30 Ques. | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Skill | Computer Knowledge – 10 Ques. | | | |
| | | **TOTAL** | 120 | | 200 |

**Total Time Duration 120 minute**

**उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा-मण्डल, लखनऊ के क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सहकारी संस्थाओं के सीधी भर्ती के निम्नलिखित पदों हेतु आयोजित होने वाली ऑनलाइन मुख्य परीक्षा का प्रारूप :—**

| **वर्ग:-- 3** | **संस्था का नाम** |
|---|---|
| 01. सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेट)/(क्लेरिकल स्टाफ) | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड |
| 02. सहायक / टंकक | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड |

**मुख्य परीक्षा (MAIN EXAMINATION)**

**ऋणात्मक अंक ¼ (25%)**

**समय : 02 घण्टे**

| **S.N.** | **Section** | **No of Question** | **Per Question Marks** | **Max. Marks** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reasoning Ability / Mental Ability | 20 | 2 | 40 |
| 2 | Numerical Ability/Quantitative Aptitude | 20 | 2 | 40 |
| 3 | Computer Language | 20 | 2 | 40 |
| 4 | Language (Hindi & English) | 20 | 2 | 40 |
| 5 | General Awareness | 20 | 1 | 20 |
| 6 | Cooperative | 20 | 1 | 20 |
| | **TOTAL** | 120 | | 200 |

**Total Time Duration 120 minute**

# परिशिष्ट – 3

## (A) प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

### (क) सहकारी समितियों के कर्मचारी श्रेणी 01 तथा कर्मचारी श्रेणी 02 के पदों पर भर्ती हेतु :—

| हिन्दी भाषा | |
|---|---|
| 01 | अपठित बोध |
| 02 | अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग |
| 03 | वाक्य शुद्धि |
| 04 | अवतरण और रचयिता |
| 05 | रचना और रचयिता |
| 06 | अशुद्ध वर्तनी के शब्दों का शुद्ध रुप |
| 07 | उपयुक्त शब्द का चयन |
| 08 | मुहावरे और लोकोक्तियाँ |
| 09 | पर्यायवाची शब्द |
| 10 | विलोम शब्द |
| 11 | शब्द शुद्धि |
| 12 | रिक्त स्थानों की पूर्ति |
| 13 | समास |
| 14 | संधि |
| 15 | उपसर्ग |
| 16 | प्रत्यय |
| 17 | रुप में समान प्रतीत होने वाले शब्द |
| 18 | पिंगल (छंद) परिचय |
| 19 | अलंकार |
| 20 | रस विवेचन |

| General English/English Language | |
|---|---|
| 01 | Vocabulary |
| 02 | Tenses Rules |
| 03 | Grammar |
| 04 | Idioms & Phrases |
| 05 | Reading Comprehension |
| 06 | Fill in the blanks |
| 07 | Spotting Errors |
| 08 | Cloze Test |
| 09 | Para jumbles |
| 10 | Synonyms |
| 11 | Antonyms |
| 12 | Using of words |
| 13 | Sentence improvement |
| 14 | Sentence Correction |
| 15 | Para/sentence completion |

| Reasoning Ability/Mental Ability | |
|---|---|
| 01 | Alphabetical order and misc. series |
| 02 | Coding Decoding |
| 03 | Direction and Distance |
| 04 | Blood Relation |
| 05 | Order and Ranking |
| 06 | Sitting Arrangement |
| 07 | Puzzle |
| 08 | Data Sufficiency |

| Numerical Ability/Quantitative Aptitude | |
|---|---|
| 01 | Simplification |
| 02 | Number series |
| 03 | Percentage |
| 04 | Profit and Loss, Discount |
| 05 | Simple Interest and Compound Interest |
| 06 | Average |
| 07 | Ratio and Proportion |
| 08 | Problems on Ages |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09 | Syllogism | | 09 | Partnership |
| 10 | Input Output | | 10 | Mixture and Allegation |
| 11 | Data Inequality | | 11 | Time and Work |
| 12 | Decision Making | | 12 | Speed, Time and Distance |
| 13 | Problem and Course of Action | | 13 | Pipe and Cistern |
| 14 | Statement and Assumption | | 14 | Problems based on Trains |
| 15 | Cause and Effect | | 15 | Boat and Stream |
| 16 | Statement and Argument | | 16 | Inequality |
| 17 | Combined logical | | 17 | Probability |
| 18 | Clock | | 18 | Permutation and Combination |
| 19 | Calendar | | 19 | Probability |
| 20 | Cube and Dice | | 20 | Mensuration-Cone, Sphere, Cylinder |
| 21 | Figure Series | | 21 | Data Sufficiency |
| 22 | Odd one Out Figure | | 22 | Data Interpretation-Bar graph, Pie Chart, Line Chart, Tabular |
| 23 | Images and Water images | | 23 | Quadratic Equation |
| 24 | Figure Matrix | | 24 | Basic Algebra |
| 25 | Paper Folding, Cutting, unfolding and do not situation | | 25 | Basic Trigonometry |
| 26 | Non-Verbal reasoning | | 26 | Measure of Central Tendency |
| | | | 27 | Indices and Logarithms |
| **सहकारिता** | | | | |
| 1 | सहकारिता का उद्भव तथा विकास | | | |
| 2 | राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण सहकारी संस्थाएं | | | |
| 3 | केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन | | | |
| 4 | सहकार से समृद्धि | | | |
| 5 | उ0प्र0 राज्य में सहकारिता का विकास | | | |
| 6 | उ0प्र0 राज्य में सहकारी संस्थाएं | | | |
| 7 | सहकारिता में नवाचार | | | |

**(ख) सहकारी समितियों के कर्मचारी श्रेणी 03 के पदों पर भर्ती हेतु :—**

| **हिन्दी भाषा** | | | **General English/English Language** | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | अपठित बोध | | 01 | Vocabulary |
| 02 | अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग | | 02 | Tenses Rules |
| 03 | वाक्य शुद्धि | | 03 | Grammar |
| 04 | अवतरण और रचयिता | | 04 | Idioms & Phrases |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05 | रचना और रचयिता | 05 | Fill in the blanks |
| 06 | अशुद्ध वर्तनी के शब्दों का शुद्ध रुप | 06 | Spotting Errors |
| 07 | उपयुक्त शब्द का चयन | 07 | Cloze Test |
| 08 | मुहावरे और लोकोक्तियाँ | 08 | Para jumbles |
| 09 | पर्यायवाची शब्द | 09 | Synonyms |
| 10 | विलोम शब्द | 10 | Antonyms |
| 11 | शब्द शुद्धि | 11 | Sentence Correction |
| 12 | समास | 12 | Para/sentence completion |
| 13 | संधि | | |
| 14 | रुप में समान प्रतीत होने वाले शब्द | | |
| 15 | अलंकार | | |
| **Reasoning Ability/Mental Ability** | | **Numerical Ability/Quantitative Aptitude** | |
| 01 | Alphabetical order and misc. series | 01 | Simplification |
| 02 | Coding Decoding | 02 | Number series |
| 03 | Direction and Distance | 03 | Percentage |
| 04 | Blood Relation | 04 | Profit and Loss, Discount |
| 05 | Order and Ranking | 05 | Simple Interest and Compound Interest |
| 06 | Sitting Arrangement | 06 | Average |
| 07 | Data Sufficiency | 07 | Ratio and Proportion |
| 08 | Syllogism | 08 | Problems on Ages |
| 09 | Input Output | 09 | Partnership |
| 10 | Data Inequality | 10 | Time and Work |
| 11 | Decision Making | 11 | Speed, Time and Distance |
| 12 | Problem and Course of Action | 12 | Problems based on Trains |
| 13 | Statement and Assumption | 13 | Boat and Stream |
| 14 | Combined logical | 14 | Inequality |
| 15 | Clock | 15 | Probability |
| 16 | Calendar | 16 | Permutation and Combination |
| 17 | Figure Series | 17 | Probability |
| 18 | Images and Water images | 18 | Mensuration-Cone, Sphere, Cylinder |
| 19 | Figure Matrix | 19 | Data Interpretation-Bar graph, Pie Chart, Line Chart, Tabular |
| 20 | Non-Verbal reasoning | 20 | Basic Algebra |
| **सहकारिता** | | 21 | Basic Trigonometry |
| 1 | सहकारिता का उद्भव तथा विकास | 22 | Measure of Central Tendency |
| 2 | राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण सहकारी संस्थाएं | 23 | Indices and Logarithms |
| 3 | केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन | | |
| 4 | सहकार से समृद्धि | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | उ0प्र0 राज्य में सहकारिता का विकास | | | |
| 6 | उ0प्र0 राज्य में सहकारी संस्थाएं | | | |
| 7 | सहकारिता में नवाचार | | | |

## (A) मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

**(क) सहकारी समितियों के कर्मचारी श्रेणी 01 तथा कर्मचारी श्रेणी 02 के पदों पर भर्ती हेतु :—**

| **पदनाम** | **संस्था का नाम** |
|---|---|
| प्रबन्धक | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड |
| कनिष्ठ प्रबन्धक | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड |
| सहायक अभियन्ता (सिविल) | उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड |

| **1. Reasoning Ability/Mental Ability** | |
|---|---|
| 1 | Alphabetical order and misc. series |
| 2 | Coding Decoding |
| 3 | Direction and Distance |
| 4 | Blood Relation |
| 5 | Order and Ranking |
| 6 | Sitting Arrangement |
| 7 | Puzzle |
| 8 | Data Sufficiency |
| 9 | Syllogism |
| 10 | Input Output |
| 11 | Data Inequality |
| 12 | Decision Making |
| 13 | Problem and Course of Action |
| 14 | Statement and Assumption |
| 15 | Cause and Effect |
| 16 | Statement and Argument |
| 17 | Combined logical |
| 18 | Clock |
| 19 | Calendar |
| 20 | Cube and Dice |
| 21 | Figure Series |
| 22 | Odd one Out Figure |
| 23 | Images and Water images |
| 24 | Figure Matrix |
| 25 | Paper Folding, Cutting, unfolding and do not situation |
| 26 | Non-Verbal reasoning |

| **2. Numerical Ability/Quantitative Aptitude** | |
|---|---|
| 1 | Simplification |
| 2 | Number series |
| 3 | Percentage |
| 4 | Profit and Loss, Discount |
| 5 | Simple Interest and Compound Interest |
| 6 | Average |
| 7 | Ratio and Proportion |
| 8 | Problems on Ages |
| 9 | Partnership |
| 10 | Mixture and Allegation |
| 11 | Time and Work |
| 12 | Speed, Time and Distance |
| 13 | Pipe and Cistern |
| 14 | Problems based on Trains |
| 15 | Boat and Stream |
| 16 | Inequality |
| 17 | Probability |
| 18 | Permutation and Combination |
| 19 | Probability |
| 20 | Mensuration-Cone, Sphere, Cylinder |
| 21 | Data Sufficiency |
| 22 | Data Interpretation-Bar graph, Pie Chart, Line Chart, Tabular |
| 23 | Quadratic Equation |
| 24 | Basic Algebra |
| 25 | Basic Trigonometry |
| 26 | Measure of Central Tendency |
| 27 | Indices and Logarithms |

| 3. सामान्य ज्ञान/वित्तीय जागरुकता | |
|---|---|
| 1 | उ0प्र0 में सहकारी बैंक की संरचना/भूमिका/विकास |
| 2 | भारतीय रिजर्व बैंक एवं मौद्रिक नीतियाँ |
| 3 | एन0पी0ए0 एवं बेसल मानक |
| 4 | मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय |
| 5 | भारतीय मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार |
| 6 | विदेशी व्यापार एवं विदेशी विनियम |
| 7 | आर्थिक नियोजन |
| 8 | सम-सामयिक कल्याणकारी योजनाएं |
| 9 | बीमा एवं विविध |
| 10 | उ0प्र0 राज्य से सम्बन्धित सामान्य जानकारी |
| 11 | भारतीय इतिहास |
| 12 | भारतीय राज व्यवस्था एवं संविधान |
| 13 | सामान्य विज्ञान |
| 14 | करेन्ट अफेयर्स (राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम) |
| 15 | भारत का भूगोल |

| 5. General English/English Language | |
|---|---|
| 1 | Vocabulary |
| 2 | Tenses Rules |
| 3 | Grammar |
| 4 | Idioms & Phrases |
| 5 | Reading Comprehension |
| 6 | Fill in the blanks |
| 7 | Spotting Errors |
| 8 | Cloze Test |
| 9 | Para jumbles |
| 10 | Synonyms |
| 11 | Antonyms |
| 12 | Using of words |
| 13 | Sentence improvement |
| 14 | Sentence Correction |
| 15 | Para/sentence completion |

| 4. हिन्दी भाषा | |
|---|---|
| 1 | अपठित बोध |
| 2 | अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग |
| 3 | वाक्य शुद्धि |
| 4 | अवतरण और रचयिता |
| 5 | रचना और रचयिता |
| 6 | अशुद्ध वर्तनी के शब्दों का शुद्ध रुप |
| 7 | उपयुक्त शब्द का चयन |
| 8 | मुहावरे और लोकोक्तियाँ |
| 9 | पर्यायवाची शब्द |
| 10 | विलोम शब्द |
| 11 | शब्द शुद्धि |
| 12 | रिक्त स्थानों की पूर्ति |
| 13 | समास |
| 14 | संधि |
| 15 | उपसर्ग |
| 16 | प्रत्यय |
| 17 | रुप में समान प्रतीत होने वाले शब्द |
| 18 | पिंगल (छंद) परिचय |
| 19 | अलंकार |
| 20 | रस विवेचन |

| 6. सहकारिता | |
|---|---|
| 1 | सहकारिता का उद्भव तथा विकास |
| 2 | राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण सहकारी संस्थाएं |
| 3 | केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन |
| 4 | सहकार से समृद्धि |
| 5 | उ0प्र0 राज्य में सहकारिता का विकास |
| 6 | उ0प्र0 राज्य में सहकारी संस्थाएं |
| 7 | सहकारिता में नवाचार |

| 7. Civil Engineering (सहायक अभियन्ता (सिविल) पद हेतु) | |
|---|---|
| 01 | Engineering Mechanics |
| 02 | Strength Of Materials |
| 03 | Structural Analysis. |
| 04 | Structural steel |
| 05 | Reinforced Concrete |
| 06 | Building Materials |
| 07 | Construction Technology, Planning and |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Management |
| | | 08 | Geo Technical Engineering and Foundation Engineering |
| | | 09 | Fluid Mechanics |
| | | 10 | Hydraulic Machines and Hydropower |
| | | 11 | Hydrology |
| | | 12 | Ground Water flow |
| | | 13 | Highway Engineering |
| | | 14 | Railway Engineering |
| | | 15 | Environmental Engineering |

## (B) मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

### (ख) सहकारी समितियों के कर्मचारी श्रेणी 03 के पदों पर भर्ती हेतु :—

| पदनाम | संस्था का नाम |
|---|---|
| 01. सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/(क्लेरिकल स्टाफ) | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड |
| 02. सहायक / टंकक | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, |

| **1. Reasoning Ability/Mental Ability** | | | **2. Numerical Ability/Quantitative Aptitude** | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabetical order and misc. series | | 1 | Simplification |
| 2 | Coding Decoding | | 2 | Number series |
| 3 | Direction and Distance | | 3 | Percentage |
| 4 | Blood Relation | | 4 | Profit and Loss, Discount |
| 5 | Order and Ranking | | 5 | Simple Interest and Compound Interest |
| 6 | Sitting Arrangement | | 6 | Average |
| 7 | Data Sufficiency | | 7 | Ration and Proportion |
| 8 | Syllogism | | 8 | Problems on Ages |
| 9 | Input Output | | 9 | Partnership |
| 10 | Data Inequality | | 10 | Time and Work |
| 11 | Decision Making | | 11 | Speed, Time and Distance |
| 12 | Problem and Course of Action | | 12 | Problems based on Trains |
| 13 | Statement and Assumption | | 13 | Boat and Stream |
| 14 | Combined logical | | 14 | Inequality |
| 15 | Clock | | 15 | Probability |
| 16 | Calendar | | 16 | Mensuration |
| 17 | Figure Series | | 17 | Data Sufficiency |
| 18 | Images and Water images | | 18 | Data Interpretation |
| 19 | Figure Matrix | | | |
| 20 | Paper Folding, Cutting, unfolding and do not situation | | | |
| **3. सामान्य ज्ञान** | | | **4. हिन्दी भाषा** | |
| 1 | उ0प्र0 में सहकारी बैंक की संरचना/भूमिका/विकास | | 1 | अपठित |
| 2 | भारतीय रिजर्व बैंक एवं मौद्रिक नीतियाँ | | 2 | अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग |
| 3 | एन0पी0ए0 एवं बासेल मानक | | 3 | वाक्य शुद्धि |
| 4 | मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय | | 4 | अवतरण और रचयिता |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | भारतीय मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार | | 5 | रचना और रचयिता |
| 6 | विदेशी व्यापार एवं विदेशी विनियम | | 6 | अशुद्ध वर्तनी के शब्दों का शुद्ध रुप |
| 7 | आर्थिक नियोजन | | 7 | उपयुक्त शब्द का चयन |
| 8 | सम-सामयिक कल्याणकारी योजनाएं | | 8 | मुहावरे और लोकोक्तियाँ |
| 9 | बीमा एवं विविध | | 9 | पर्यावाची शब्द |
| 10 | उ0प्र0 राज्य से सम्बन्धित सामान्य जानकारी | | 10 | विलोम शब्द |
| 11 | भारतीय इतिहास | | 11 | शब्द शुद्धि |
| 12 | भारतीय राज व्यवस्था एवं सविधान | | 12 | समास |
| 13 | सामान्य विज्ञान | | 13 | संधि |
| 14 | करेन्ट अफेयर्स (राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम( | | 14 | रुप में समान प्रतीत होने वाले शब्द |
| 15 | भारत का भूगोल | | 15 | अलंकार |
| **5. General English/English Language** | | | **6. Computer Language** | |
| 1 | Vocabulary | | 1 | Basic of Hardware and Software |
| 2 | Tenses Rules | | 2 | Operating System |
| 3 | Grammar | | 3 | Internet and Associated topics |
| 4 | Idioms & Phrases | | 4 | Microsoft Office and Other word processing software (MS Word, MS-Excel, MS-PowerPoint) |
| 5 | Fill in the blanks | | 5 | History of Computer |
| 6 | Spotting Errors | | 6 | Basic Computer Networking |
| 7 | Cloze Test | | 7 | Basics of Databases |
| 8 | Para jumbles | | 8 | Basics of Cyber Security Tools and process |
| 9 | Synonyms | | **7. सहकारिता** | |
| 10 | Antonyms | | 1 | सहकारिता का उद्भव तथा विकास |
| 11 | Sentence Correction | | 2 | राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण सहकारी संस्थाएं (जैसे - अमूल, इफको, कृभको आदि) |
| | | | 3 | उ0प्र0 राज्य में सहकारिता का विकास |
| | | | 4 | उ0प्र0 राज्य मे शीर्ष सहकारी संस्थाएं |
| | | | 5 | पृथक सहकारिता मंत्रालय का गठन |
| | | | 6 | सहकार से समृद्धि |
| | | | 7 | सहकारिता में नवाचार |

# परिशिष्ट - 4

## रिक्तियों का विवरण

### पदनाम : प्रबन्धक

| क्र.स. | पदनाम | वेतनमान | संस्था का नाम | रिक्त पदों की संख्या | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | लम्बवत आरक्षण | | | क्षैतिज आरक्षण | | | | |
| | | | | अनुसूचित जाति (SC) | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | कुल | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित | दिव्यांगजन | सैन्य वियोजित / भूतपूर्व सैनिक | महिला | उत्कृष्ट खिलाड़ी |
| 1 | प्रबन्धक (श्रेणी - 1) | वेतनमान (न्यूनतम): 34000,वेतनमान (अधिकतम): 88000,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 34000-2600/10-60000-2800/10-88000 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बिजनौर | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | प्रबन्धक (श्रेणी - 1) | वेतनमान (न्यूनतम): 34000,वेतनमान (अधिकतम): 88000,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 34000-2600/10-60000-2800/10-88000 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, लखीमपुर खीरी | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | प्रबन्धक (श्रेणी - 1) | वेतनमान (न्यूनतम): 34000,वेतनमान (अधिकतम): 88000,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 34000-2600/10-60000-2800/10-88000 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, सहारनपुर | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | प्रबन्धक (श्रेणी - 1) | वेतनमान (न्यूनतम): 20310,वेतनमान (अधिकतम): 52610,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 20310-1560/10-35910-1670/10-52610 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, शाहजहाँपुर | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | प्रबन्धक (श्रेणी - 1) | वेतनमान (न्यूनतम): 20310,वेतनमान (अधिकतम): 52610,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 20310-1560/10-35910-1670/10-52610 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, रामपुर | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | प्रबन्धक (श्रेणी - 1) | वेतनमान (न्यूनतम): 20310,वेतनमान (अधिकतम): 52610,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 20310-1560/10-35910-1670/10-52610 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, फतेहगढ़ (फरूर्खाबाद) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | प्रबन्धक (श्रेणी - 1) | वेतनमान (न्यूनतम): 10770,वेतनमान (अधिकतम): 27970,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 10770-830/10-19070- | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, अलीगढ़ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 890/10-27970 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## पदनाम : कनिष्ठ प्रबन्धक

| क्र.स. | पदनाम | वेतनमान | संस्था का नाम | रिक्त पदों की संख्या | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | लम्बवत आरक्षण | | | क्षैतिज आरक्षण | | | | |
| | | | | अनुसूचित जाति (SC) | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | कुल | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित | दिव्यांगजन | सैन्य वियोजित / भूतपूर्व सैनिक | महिला | उत्कृष्ट खिलाड़ी |
| 8 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम) : 29600, वेतनमान (अधिकतम) : 82100, वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 29600-2500/10-54600-2750/10-82100 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मुजफ्फरनगर | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 29600,वेतनमान (अधिकतम): 82100,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 29600-2500/10-54600-2750/10-82100 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड,बिजनौर | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 29600,वेतनमान (अधिकतम): 82100,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 29600-2500/10-54600-2750/10-82100 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जालौन (उरई) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 29600,वेतनमान (अधिकतम): 82100,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 29600-2500/10-54600-2750/10-82100 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, लखीमपुर खीरी | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 29600,वेतनमान (अधिकतम): 82100,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 29600-2500/10-54600-2750/10-82100 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, सहारनपुर | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 29600,वेतनमान (अधिकतम): 82100,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 29600-2500/10-54600-2750/10-82100 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, गाजियाबाद | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 29600,वेतनमान (अधिकतम): 82100,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 29600-2500/10-54600-2750/10-82100 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बुलन्दशहर | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 17670,वेतनमान (अधिकतम): 49170,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 17670-1500/10-32670-1650/10-49170 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, रायबरेली | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | कनिष्ठ प्रबन्धक | वेतनमान (न्यूनतम): 17670,वेतनमान (अधिकतम): 49170,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, शाहजहाँपुर | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (श्रेणी - 2) | 17670-1500/10-32670-1650/10-49170 | | | | | | | | | |
| 17 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 17670,वेतनमान (अधिकतम): 49170,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 17670-1500/10-32670-1650/10-49170 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, रामपुर | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 17670,वेतनमान (अधिकतम): 49170,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 17670-1500/10-32670-1650/10-49170 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, एटा | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 17670,वेतनमान (अधिकतम): 49170,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 17670-1500/10-32670-1650/10-49170 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, झांसी | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 9370,वेतनमान (अधिकतम): 26120,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 9370-800/10-17370-875/10-26120 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मैनपुरी | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 9370,वेतनमान (अधिकतम): 26120,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 9370-800/10-17370-875/10-26120 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मऊ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 9370,वेतनमान (अधिकतम): 26120,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 9370-800/10-17370-875/10-26120 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, आगरा | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 6300,वेतनमान (अधिकतम): 17580,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 6300-540/10-11700-588/10-17580 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, अयोध्या | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 6300,वेतनमान (अधिकतम): 17580,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 6300-540/10-11700-588/10-17580 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, वाराणसी | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 6300,वेतनमान (अधिकतम): 17580,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 6300-540/10-11700-588/10-17580 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, सीतापुर | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 2520,वेतनमान (अधिकतम): 7495,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 2520-230/10-4820-267/5-6155-268/5-7495 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बहराइच | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | कनिष्ठ प्रबन्धक (श्रेणी - 2) | वेतनमान (न्यूनतम): 2520,वेतनमान (अधिकतम): 7495,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 2520-230/10-4820-267/5-6155-268/5-7495 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जौनपुर | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## पदनाम : सहायक / कैशियर ( बैंकिग असिस्टेंट) / (क्लेरिकल स्टाफ)

| क्र.स. | पदनाम | वेतनमान | संस्था का नाम | रिक्त पदों की संख्या | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | लम्बवत आरक्षण | | | क्षैतिज आरक्षण | | | | |
| | | | | अनुसूचित जाति (SC) | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | कुल | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित | दिव्यांगजन | सैन्य वियोजित / भूतपूर्व सैनिक | महिला | उत्कृष्ट खिलाड़ी |
| 28 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट) / (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 25620,वेतनमान (अधिकतम): 64670,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 25620-1675/10-42370-2030/5-52520-2430/5-64670 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बिजनौर | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 25620,वेतनमान (अधिकतम): 64670,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 25620-1675/10-42370-2030/5-52520-2430/5-64670 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, गाजियाबाद | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 25620,वेतनमान (अधिकतम): 64670,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 25620-1675/10-42370-2030/5-52520-2430/5-64670 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मुजफ्फरनगर | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 15290,वेतनमान (अधिकतम): 38590,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 15290-1000/10-25290-1210/5-31340-1450/5-38590 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, ललीतपुर | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 15290,वेतनमान (अधिकतम): 38590,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 15290-1000/10-25290-1210/5-31340-1450/5-38590 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, उन्नाव | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 15290,वेतनमान (अधिकतम): 38590,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 15290-1000/10-25290-1210/5-31340-1450/5-38590 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बाराबंकी | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | सहायक / कैशियर | वेतनमान (न्यूनतम): | जिला सहकारी बैंक | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | 15290,वेतनमान (अधिकतम): 38590,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 15290-1000/10-25290-1210/5-31340-1450/5-38590 | लिमिटेड, प्रतापगढ़ | | | | | | | | |
| 35 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 15290,वेतनमान (अधिकतम): 38590,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 15290-1000/10-25290-1210/5-31340-1450/5-38590 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, हमीरपुर महोबा | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 15290,वेतनमान (अधिकतम): 38590,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 15290-1000/10-25290-1210/5-31340-1450/5-38590 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, फतेहगढ़ (फर्रूखाबाद) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 15290,वेतनमान (अधिकतम): 38590,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 15290-1000/10-25290-1210/5-31340-1450/5-38590 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, शाहजहाँपुर | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 8110,वेतनमान (अधिकतम): 20960,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 8110-535/10-13460-650/5-16710-850/5-20960 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, अलीगढ़ | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 8110,वेतनमान (अधिकतम): 20960,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 8110-535/10-13460-650/5-16710-850/5-20960 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मैनपुरी | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 5450,वेतनमान (अधिकतम): 14100,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 5450-360/10-9050-440/5-11250-570/5-14100 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, आजमगढ़ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 5450,वेतनमान (अधिकतम): 14100,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 5450-360/10-9050-440/5-11250-570/5-14100 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | सहायक / कैशियर (बैंकिग असिस्टेंट)/ (क्लेरिकल स्टाफ) (श्रेणी - 3) | वेतनमान (न्यूनतम): 2200,वेतनमान (अधिकतम): 5825,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 2200-140/10-3600-190/5-4550-255/5-5825 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बहराइच | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## पदनाम : सहायक / टंकक

| क्र.स. | पदनाम | वेतनमान | संस्था का नाम | रिक्त पदों की संख्या | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | लम्बवत आरक्षण | | | क्षैतिज आरक्षण | | | | |
| | | | | अनुसूचित जाति (SC) | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | कुल | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित | दिव्यांगजन | सैन्य वियोजित / भूतपूर्व सैनिक | महिला | उत्कृष्ट खिलाड़ी |
| 43 | सहायक / टंकक | वेतनमान (न्यूनतम): 25620, वेतनमान (अधिकतम): 64670,वेतन बैंड: ,ग्रेड-पे: 25620-1675/10-42370-2030/5-52520-2430/5-64670 | जिला सहकारी बैंक लिमिटेड मुजफ्फरनगर | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## पदनाम :सहायक अभियन्ता(सिविल)

| क्र.स. | पदनाम | वेतनमान | संस्था का नाम | रिक्त पदों की संख्या | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | लम्बवत आरक्षण | | | क्षैतिज आरक्षण | | | | |
| | | | | अनुसूचित जाति (SC) | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | कुल | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित | दिव्यांगजन | सैन्य वियोजित / भूतपूर्व सैनिक | महिला | उत्कृष्ट खिलाड़ी |
| 44 | सहायक अभियन्ता (श्रेणी – (2 | लेवल 10-, वेतनमान (न्यूनतम):56100, वेतनमान (अधिकतम) : 177500 | उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

## परिशिष्ट-5

## पदों की संगत सेवा नियमावली/विनियमावली का विवरण

1. उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1975

2. उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0) कर्मचारी सेवा नियमावली, 2020